

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

(संसद के अधिनियम संख्या 25 (2009) के तहत स्थापित)
जांट-पाली, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)-123031



CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

(Established vide Act No. 25 (2009) of Parliament)

Jant-Pali, Mahendergarh (Haryana)-123031

सं./No.: CUH/ 2023/ PRO/688

दिनांक/Date: 11/10/2023

सूचना

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि सामान्य वित्तीय नियमावली-2017 के अनुसार सभी सेवाएं Government-e-Marketplace (GeM) से लेना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय की निविदा सूचना, रुचि की अभिव्यक्ति (EoI), रोजगार सूचना, सार्वजनिक सूचना, दर सूचना आदि भी GeM पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित करवाई जाएंगी।

अतः आपसे आग्रह है कि

- कोई भी विज्ञापन सूचना समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाने हेतु प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 20 दिन पहले जनसंपर्क कार्यालय में उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
- अतिआवश्यक व अपरिहार्य परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा सूचीबद्ध विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से करवाई जा सकती है। इसके लिए संबंधित विभाग/अनुभाग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा GeM से छूट संबंधी मंजूरी लेनी होगी।

रुदील ३५८
11.10.23
कुलसचिव

उक्त की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित-

1. सभी अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/प्रभारी, हकेवि।
2. सभी प्रशासनिक अनुभागों के प्रमुख, हकेवि।
3. कुलपति सचिवालय (माननीय कुलपति महादेय के सूचनार्थ), हकेवि।
4. सम-कुलपति सचिवालय (सम-कुलपति महोदया के सूचनार्थ), हकेवि।
5. आईसीटी अनुभाग (विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), हकेवि।